न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 94 / 2018

1 गोपाल पुत्र मनीराम
2 दीपक पुत्र गोपाल सिंह } जाति धाकड निवासी मुहारी तहसील वैर
3 रमेश पुत्र गिर्राज

.....प्रार्थी

बनाम

बृजमोहन पुत्र मनीराम जाति धाकड निवासी मुहारी तहसील वैर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत विरुद्व मुकदमा अदालत उपखण्ड अधिकारी वैर व मुकदमा मुतफरिक रैवन्य 37 / 18 धारा 212 राज.आरटीएक्ट

———————

निर्णय दिनांक 05.3.2019

यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी वैर श्री विशम्बर दयाल के पेश किया गया है। प्रार्थी ने कथन किया है कि जो संक्षेप इस प्रकार हैं। कि एक दावा उपखण्ड अधिकारी वैर के यहां विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी वैर के व्यवहार से दावा को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा उपखण्ड अधिकारी वैर से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ. वैर से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। पक्षकारान उभय पक्ष को सुना गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का कथन है कि पक्षकारन के मध्य एक दावा एस.डी.ओ. वैर के न्यायालय में विचाराधीन है।प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया है कि दावा एस.डी.ओ. वैर के न्यायालय में विचाराधीन है । प्रार्थी दावा को लम्बा कराने की नीयत से मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी को निर्णय नहीं होने देना चाहते है । दावा को इधर उधर स्थानान्तरण करवा कर लम्बा करने की नियत रखते है।योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने एस.डी.ओ. वैर द्वारा प्रेषित टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया है कि वकील पक्षकारन की तरफ से बहस नहीं करने का कारण निस्तारण नहीं हुआ। अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र खारिज की जाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ. वैर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। एस.डी.ओ. वैर से प्राप्त टिप्पणी स्पष्ट है कि विचारधीन दावा वर्ष 2018 का है। प्रार्थी द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही जानबूझ कर दावा को देरी करने की है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी की मंशा विचारधीन दावा को देरी करने के सिवाय ओर कुछ नहीं है । अस्तु प्रार्थना पत्र सारहीन होने से काबिल खारिज रहता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी वैर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.3.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉआरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/95/2018

1 गोपाल पुत्र मनीराम जाति धाकड निवासी मुहारी तहसील वैर .....
प्रार्थी

बनाम

1 रमेश पुत्र मनीराम
2 बृजमोहन पुत्र मनीराम } जाति धाकड निवासी मुहारी तहसील वैर
3 राधेश्याम पुत्र मनीराम

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत विरुद्व मुकदमा अदालत उपखण्ड अधिकारी वैर व मुकदमा मुतफरिक रैवन्यू उनमानी गोपालराम रमेश वगैरह 212 आरटीएक्ट

————————

निर्णय दिनांक 05.03.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी वैर श्री विशम्बर दयाल के पेश किया गया है। प्रार्थी ने कथन किया है कि जो संक्षेप इस प्रकार हैं। कि एक दावा उपखण्ड अधिकारी वैर के यहां विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी वैर के व्यवहार से दावा को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा उपखण्ड अधिकारी वैर से टिप्पणी तलब की गई। एस.डी.ओ. वैर से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। पक्षकारान उभय पक्ष को सुना गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का कथन है कि पक्षकारन के मध्य एक दावा एस.डी.ओ. वैर के न्यायालय में विचाराधीन है।प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने तर्कों में जाहिर किया है कि दावा एस.डी.ओ. वैर के न्यायालय में विचाराधीन है । प्रार्थी दावा को लम्बा कराने की नीयत से मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी को निर्णय नहीं होने देना चाहते है । दावा को इधर उधर स्थानान्तरण करवा कर लम्बा करने की नियत रखते है।योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने एस.डी.ओ. वैर द्वारा प्रेषित टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया है कि वकील पक्षकारन की तरफ से बहस नहीं करने का कारण निस्तारण नहीं हुआ। अभिभाषक अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र खारिज की जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ. वैर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। एस.डी.ओ. वैर से प्राप्त टिप्पणी स्पष्ट है कि विचारधीन दावा वर्ष 2018 का है। प्रार्थी द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही जानबूझ कर दावा को देरी करने की है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी की मंशा विचारधीन दावा को देरी करने के सिवाय ओर कुछ नहीं है । अस्तु प्रार्थना पत्र सारहीन होने से काबिल खारिज रहता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी वैर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0 / 50 / 2016

हरवीर सिंह पुत्र शेरसिंह जाति काछी निवासी खरेरा तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

.....

प्रार्थी

बनाम

तेजा पुत्र हरेती जाति काछी निवासी खरेरा तहसील भरतपुर जिला भरतपुर

प्रार्थना पत्र रिव्यू

निर्णय

दिनांक 06.03.2019

यह प्रार्थना पत्र रिव्यू पेश किया है कि उनबानी अपील श्रीमानजी के न्यायालय में विचारधीन थी जिसमें श्रीमानजी ने दिनांक 29.08.2016 को आदेश पारित कर अपील को खारिज कर दिया है। अपील में नामन्तकरण संख्या 216 दिनांक 11.11.2001 न्यायालय तहसीलदार भरतपुर के संशोधन कर रेस्पो असल के नाम हो रहे इन्द्राज की दुरस्ती का निवेदन किया। अपील में रेस्पो दिनांक 01.10.15 को राजीनामा पेश कर अपील को स्वीकार किये जाने की सहमति दी थी। श्रीमानजी द्वारा न्यायालय अपील खारिज की गई। प्रार्थना पत्र रिव्यू स्वीकार करने की प्रार्थना की है। मूल अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह जाहिर है कि पक्षकारान द्वारा अपनी आपसी समझौते एवं सहमति से न्यायालय हाजा के समक्ष मय वकील स्वयं उपस्थित होकर उक्त राजीनामा प्रस्तुत किया गया था। जिसको न्यायालय हाजा द्वारा पक्षकारान की मौजूदगी में तस्दीक किया गया है। ऐसी स्थिति में जब पक्षकारान आपसी रजामंदी से प्रकरण में राजीनामा पेश कर रहे है तो फिर उस प्रकरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रहता है। राजीनामा के आधार पर अपील खारिज की गई थी । इसके अलावा रिब्यू का स्कोप काफी सीमित होता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 05.03.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक~~)~~

~~जिला कलक्टर,~~
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

मुन्त. प्रा0/07/2019

1 मानसिंह पुत्र बुद्वासिंह जाति जाट निवासी पाहुआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर

असल अप्रार्थी

2 बच्चू सिंह पुत्र बुद्वासिंह जाति जाट निवासी पाहुआ तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत विरुद्व मुकदमा अदालत नायब तहसीलदार कुम्हेर बाबूलाल शर्मा बाबत मुकदमा सरकार बनाम मानसिंह

———————

निर्णय दिनांक 13.03.2019

यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिली प्रार्थी ने विरूद्व अप्रार्थी व खिलाफ नायब तहसीलदार कुम्हेर बाबूलाल शर्मा के पेश किया गया है। प्रार्थी ने कथन किया है कि जो संक्षेप इस प्रकार हैं कि एक

सत्यमेव जयते
Web Copy Not official

प्रार्थना पत्र 91 एलआर एक्ट न्यायालय तहसीलदार कुम्हेर में विचाराधीन है । नायब तहसीलदार कुम्हेर के व्यवहार से एवं नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा कोई सुनवाई नहीं करने बाबत प्रार्थना पत्र 91 को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई तथा नायब तहसीलदार कुम्हेर से टिप्पणी तलब की गई। नायब तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त टिप्पणी शामिल पत्रावली की गई। पक्षकारान उभय पक्ष को सुना गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी द्वारा तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का कथन है कि पक्षकारन के मध्य एक 91 प्रार्थना पत्र एलआर एक्ट नायब तहसीलदार कुम्हेर के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है। सरकार पैरवकार ने अपने तर्कों में जाहिर किया है कि एक प्रार्थना पत्र 91 एलआर एक्ट न्यायालय तहसीलदार कुम्हेर में विचाराधीन है । प्रार्थी एक प्रार्थना पत्र 91 को लम्बा कराने की नीयत से मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी को निर्णय नहीं होने देना चाहते है । प्रार्थना पत्र 91 को इधर उधर स्थानान्तरण करवा कर लम्बा करने की नियत रखते है। योग्य अभिभाषक ने नायब तहसीलदार कुम्हेर द्वारा प्रेषित टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया है कि वकील पक्षकारन की तरफ से बहस नहीं करने का कारण निस्तारण नहीं हुआ। सरकार पेरवकार ने प्रार्थना पत्र खारिज की जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। नायब तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। नायब तहसीलदार कुम्हेर से प्राप्त टिप्पणी स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही जानबूझ कर प्रार्थना पत्र को देरी करने की है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थी की मंशा विचारधीन प्रार्थना पत्र 91 को देरी करने के सिवाय ओर कुछ नहीं है । अस्तु प्रार्थना पत्र सारहीन होने से काबिल खारिज रहता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार कुम्हेर को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रार्थना पत्र रिव्यू/97/2018

महेन्द्र प्रताप शर्मा पुत्र श्री हरिशर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बार्ड न.5 बीच का पाडा नदबई तहसील

नदबई जिला भरतपुर .....

प्रार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी नदबई ..... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिव्यू

निर्णय दिनांक 13.03.2019

यह प्रार्थना पत्र रिव्यू पेश किया है कि उनबानी अपील श्रीमानजी के न्यायालय में विचारधीन थी जिसमें श्रीमानजी ने दिनांक 18.07.2018 को आदेश पारित कर अपील को खारिज कर दिया है। प्रार्थना पत्र रिव्यू प्रार्थी अभिभाषक बहस में प्रार्थी को ज्यादा बीमार रहने एवं खाद्य सुरक्षा का लाभ देने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने की अपील की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल निर्णय दिनांक 18.07.2018 गुणा वगुण के आधार पर बाद परीक्षण पारित किया गया है।प्रथम दृष्टया निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। प्रथम दृष्टया मूल आदेश में कोई अनियमितता पाई नहीं गई है। अपीलांट की ओर से कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है। निर्णय दिनांक 18.07.2018 का रिव्यू करना उचित नहीं पाते है। लिहाजा प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील राजस्व / 30 / 2017

1 मानसिंह पुत्र भजनलाल जाति जाट निवासी ग्राम हथैनी तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

2 नायब तहसीलदार भरतपुर

.....रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 24.08.2017 न्यायालय नायब तहसीलदार भरतपुर व मुकदमा उनवानी सरकार बनाम मानसिंह अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट मुकदमा नं 5 / 17 न्यायालय नायब तहसीलदार भरतपुर।

———————

उपस्थित –

1– श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक अपीलांट

2– श्री राजेश पचौरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 26.03.2019

अपीलांट ने यह अपील नायब तहसीलदार भरतपुर के आदेश दिनांक 24.08.2017 के खिलाफ पेश हुई है। अपीलाधीन आदेश में नायब तहसीलदार भरतपुर ने खसरा न. 582/1.92 गैर मुमकिन पोखर बाके ग्राम हथैनी में 0.01 हैक्ट के पुख्ता मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। इसके आधार पर अपीलांट के विरूद्य अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने एवं पेन्लटी कायम की जाने की आज्ञा दी गयी है। उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। नायब तहसीलदार भरतपुर से तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक ने अपील अंकित कथनों को दोहराते हुए बताया है कि अपीलांट के हाल खसरा न. 582/1.92 गैर मुमकिन पोखर बाके ग्राम हथैनी में 0.01 हैक्ट गैर मुमकिन पोखर है। पक्का सी.सी. रोड है। अपीलांट के खसरा नम्बर 580/0. 12 बांके ग्राम हथैनी भरतपुर साविक खसरा नं 467 रकवा एक बीघा एक विस्वा कुल 17 एयर से बन्धोवस्त विभाग ने निर्मित किया है। जो कि साविक के मुताबिक वर्तमान में 17–12–5 एयर कम है। जो कि केवल मात्र रिकार्ड में गलत है। मोके पर कब्जा आज भी अपीलांट का सम्पूर्ण एयर पर काबिज है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि खसरा न. 582/1.92 गैर मुमकिन पोखर बाके ग्राम हथैनी में 0.01 हैक्ट की पैमाइश कराई गई वतर्मान रिकार्ड मेरे रकवा पर अतिक्रमण दिखा दिया गया है। इस सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर कोर्ट में कार्यवाही की । श्री मान जिला कलक्टर को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। मेरी जमीन 5 ऐयर कम है। रकवा 17 एयर करने के की कृपा करें। योग्य रेस्पो की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक पक्ष का तर्क है कि तहत न्यायालय में मनमर्जी के आधार पर आदेश पारित किया है। जो खारिज योग्य है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । आराजी खसरा नं 582/1.92 राजस्व रिकोर्ड में गैर मुमकिन पोखर बाके ग्राम हथैनी खसरा नं0 580 तथा अतिक्रमी की खातेदारी खसरा नं0 580 से चिपटमा 582 है। गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। जिस पर रेस्पो का अतिक्रमण पटवारी हल्का की रिपोर्ट आधार स्पष्ट प्रमाणित है साथ ही श्री मान एडीजे साहब संख्या 1भरतपुर द्वारा भी अपने निर्णय दिनांक 1.06.2017 में यह स्पष्ट आदेश दिये हैं कि आराजी खसरा नं 582 गैर मुमकिन पोखर व चारागाह पर यदि कोई अतिक्रमण है तो तहसीलदार व पटवारी विधि अनुसार कार्यवाही कर उक्त अतिक्रमण को हटाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसमें विपरीत

Web Copy - Not Official

अपीलांट की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया । जिसमें उक्त अपील अधीनस्थ में विधि सम्मत न माना जा सके कि यह लिहाजा अपील अधीनस्थ आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अपील अपीलांट खरिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति एवं तहत न्यायालय की पत्रावली नायब तहसीलदार भरतपुर को भेजी जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 19 / 2019

महेन्द्रसिंह पुत्र सामलिया जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तहसील कांमा।

बनाम

प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा , कलैक्ट्रेट भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 18.03.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री महेन्द्रसिंह पुत्र सामलिया जाति गुर्जर निवासी अकबरपुर तहसील कांमा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 19.02.2019 के द्वारा प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा , कलैक्ट्रेट भरतपुर सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा , कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक /कोर्ट /145 दिनांक 25.2.19 से प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा , कलैक्ट्रेट भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा , कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/ 2791 दिनांक 18.03.2019 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा ,कलैक्ट्रेट भरतपुरने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट का कथन है कि प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा ,कलैक्ट्रेट भरतपुर से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा , कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/2791 दिनांक 18.03.2019 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा मांगी गयी सूचनांऐ अधिषाशी अधिकारी नगर पालिका, कामां से सम्बन्धित हैं। अपीलार्थी का मूल आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2018 को क्रमांक न0 11060 दिनांक 31.12.2018 से अधिषाशी अधिकारी नगर पालिका, कामां को वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया है। अपीलान्ट की सूचना अधिषाशी अधिकारी नगर पालिका, कामां से सम्बन्धित है। इसकी अपील संबधित सक्षम अपील अधिकारी नगरपालिका चेयरमैन के यहां पेश करें। अस्तु अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को अधिषाशी अधिकारी नगर पालिका, कामां से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा, कलैक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित की जावे । इस आदेश से संतुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 16 / 2019

श्रीचंद पुरोहित पुत्र श्री पूरनाराम ग्राम फतेहपुर पो0 मूडौती तह0 नगर

बनाम

तहसीलदार नगर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 18.03.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री श्रीचंद पुरोहित पुत्र श्री पूरनाराम ग्राम फतेहपुर पो0 मूडौती तह0 नगर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 11.02.2019 के द्वारा नायब तहसीलदार सीकरीसूचना चाही गयी थी। नायब तहसीलदार सीकरी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /140 दिनांक 25.2.19 से नायब तहसीलदार सीकरीसे अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार सीकरी से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/ 292 दिनांक 18.03.2019 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं नायब तहसीलदार सीकरी ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट का कथन है कि नायब तहसीलदार सीकरी से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। नायब तहसीलदार सीकरी से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/292 दिनांक 18.03.2019 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनांऐं उपलब्ध करा दी गयी हैं। अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक/193 दिनांक 28.12.2018 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना भिजवाई गई है। अस्तु अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को नायब तहसीलदार सीकरी से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार सीकरी को प्रेषित की जावे । इस आदेश से संतुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 21 / 2019

सियाराम पुत्र श्री परभाती ग्राम माली कुण्डा का बास सीकरी।

बनाम

नायब तहसीलदार सीकरी।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 26.03.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री सियाराम पुत्र श्री परभाती ग्राम माली कुण्डा का बास सीकरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 26.02.2019 के द्वारा नायब तहसीलदार सीकरी सूचना चाही गयी थी। नायब तहसीलदार सीकरी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /186 दिनांक 07.3.19 से नायब तहसीलदार सीकरी से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। नायब तहसीलदार सीकरी से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/ 382 दिनांक 18.03.2019 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं नायब तहसीलदार सीकरी ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट का कथन है कि नायब तहसीलदार सीकरी से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। नायब तहसीलदार सीकरी से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/382 दिनांक 18.03.2019 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनांऐं उपलब्ध करा दी गयी हैं। रेस्पो ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना भिजवाई गई है। अस्तु अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को नायब तहसीलदार सीकरी से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति नायब तहसीलदार सीकरी को प्रेषित की जावे । इस आदेश से संतुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

जिला कलक्टर,
भरतपुर

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 22 / 2019

देवी सिंह पुत्र शिवराम जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट ताखा तहसील कुम्हेर।

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 18.03.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री देवी सिंह पुत्र शिवराम जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट ताखा तहसील कुम्हेर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 06.03.2019 के द्वारा जिला रसद अधिकारी, भरतपुर सूचना चाही गयी थी। जिला रसद अधिकारी, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /187 दिनांक 07.03.2019 से जिला रसद अधिकारी, भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। जिला रसद अधिकारी, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/ 5429 दिनांक 15.03.2019 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं जिला रसद अधिकारी, भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट का कथन है कि जिला रसद अधिकारी, भरतपुर से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। जिला रसद अधिकारी, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/5429 दिनांक 15.03.2019 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गयी हैं। अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक/5427 दिनांक 15.03.2019 की प्रति भी भिजवाई गई है एवं कुछ सूचनाऐं सूचना के तहत अधिनियम कार्य क्षेत्र से बाहर होने के कारण उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। रेस्पो0 ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना भिजवाई गई है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को जिला रसद अधिकारी, भरतपुर से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, भरतपुर को प्रेषित की जावे । इस आदेश से संतुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. आरूषि मलिक)

Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 15 / 2019

डॉ0 करन सिंह पुत्र बालमुकन्द निवासी सी–6 रीको बयाना।

बनाम

तहसीलदार बयाना , भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 18.03.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री डॉ0 करन सिंह पुत्र बालमुकन्द निवासी सी–6 रीको बयाना ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 11.02.2019 के द्वारा तहसीलदार बयाना सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार बयाना द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /141 दिनांक 25.02.2019 से तहसीलदार बयाना से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बयाना से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/78 दिनांक 14.03.2019 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार बयाना ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट का कथन है कि तहसीलदार बयाना से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार बयाना से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/78 दिनांक 14.03.2019 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनांऐं उपलब्ध करा दी गयी हैं। अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक/35 दिनांक 07.02.2019 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो0 ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना भिजवाई गई है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को तहसीलदार बयाना से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को प्रेषित की जावे । इस आदेश से संतुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 20 / 2019

डॉ0 करन सिंह पुत्र बालमुकन्द निवासी सी–6 रीको बयाना।

बनाम

प्रभारी अधिकारी सतर्कता / एलआर , भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 26.03.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट डॉ0 करन सिंह पुत्र बालमुकन्द निवासी सी–6 रीको बयाना ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 11.02. 2019 के द्वारा प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख कलैक्ट्रेट, भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख कलैक्ट्रेट, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /185 दिनांक 07.03.2019 से प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख कलैक्ट्रेट, भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख कलैक्ट्रेट, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/3466 दिनांक 16.03.2019 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख कलैक्ट्रेट, भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट का कथन है कि प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख कलैक्ट्रेट, भरतपुर से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख कलैक्ट्रेट, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/3466 दिनांक 16.03.2019 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी ने आवेदन प्रार्थना पत्र में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत संबधित पटवारी, गिरदावर के खिलाफ कार्य नहीं करने एवं उसके खिलाफ सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही करने की प्रार्थना की है। जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 कार्यवाही करने के नियम में नहीं आती है। अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक/2591 दिनांक 01.03.2019 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो0 ने अपीलांट को इस संबध में पत्र के जरिये अवगत करा दिया गया है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख कलैक्ट्रेट, भरतपुर से प्राप्त पत्र

Web Copy - Not Official

की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी भूअभिलेख कलैक्ट्रेट, भरतपुर को प्रेषित की जावे । इस आदेश से संतुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 18 / 2019

डॉ0 करन सिंह पुत्र बालमुकन्द निवासी सी–6 रीको बयाना।

बनाम

तहसीलदार बयाना , भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 18.03.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री डॉ0 करन सिंह पुत्र बालमुकन्द निवासी सी–6 रीको बयाना ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 11.02.2019 के द्वारा तहसीलदार बयाना सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार बयाना द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /144 दिनांक 25.02.2019 से तहसीलदार बयाना से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार बयाना से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/78 दिनांक 14.03.2019 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार बयाना ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट का कथन है कि तहसीलदार बयाना से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार बयाना से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/78 दिनांक 14.03.2019 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनांऐं उपलब्ध करा दी गयी हैं। अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक/35 दिनांक 07.02.2019 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो0 ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना भिजवाई गई है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को तहसीलदार बयाना से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार बयाना को प्रेषित की जावे । इस आदेश से संतुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,

Web Copy - Not Official

भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 17 / 2019

जहानलाल निवासी मकान नं0 7 आवासीय परिसर द्वारिका सेक्टर 1ए नसीरपुर नई दिल्ली ।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी ,वैर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 26.03.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री जहानलाल निवासी मकान नं0 7 आवासीय परिसर द्वारिका सेक्टर 1 ए नसीरपुर नई दिल्ली ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 07.02.2019 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा कलक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा कलक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /146 दिनांक 25.2.19 से प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/ 2889 दिनांक 18.03.2019 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा कलक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट का कथन है कि प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा कलक्ट्रेट भरतपुर से उक्त सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा से प्राप्त जबाव क्रमांक नं0 2889 दिनांक 18.03.2019 से अवगत कराया है कि चाही गयी सूचना उपखण्ड अधिकारी ,वैर से सम्बन्धित हैं। इसलिए मूल प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) से अन्तर्गत स्थानान्तरण किया गया है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक नं0 211 दिनांक 18.03.2019 से उपखण्ड अधिकारी वैर से रिपोर्ट तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी वैर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/411 दिनांक 22.03.2019 को शामिल मिसिल किया गया तथा पत्र का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनाऐं उपलब्ध करा दी गयी हैं। रेस्पो ने अपीलान्ट को सम्पूर्ण सूचना भिजवाई गई है। अस्तु अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को उपखण्ड अधिकारी ,वैर से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी

Web Copy - Not Official

,वैर को प्रेषित की जावे । इस आदेश से संतुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 29 / 2019

वीरेन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह निवासी नाहरौली तहसील डीग

बनाम

एस.डी.एम,डीग

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 23.04.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट वीरेन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह निवासी नाहरौली तहसील डीग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 23.08.2018 के द्वारा एस.डी.एम,डीग से सूचना चाही गयी थी। एस.डी.एम,डीग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक /कोर्ट /68 दिनांक 31.01.2019 से एस.डी.एम,डीग से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। एस.डी.एम,डीग से प्राप्त जबाब दिनांक 13.02.2019 को प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं एस.डी.एम,डीग ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट का कथन है कि एस.डी.एम,डीग से उक्त सूचनाऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। ए.डी.एम भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र मूल ही का अवलोकन किया गया कि अपीलान्ट का मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय के पत्रांक सामान्य/आरटीआई/(16) 2018 10271 दिनांक 22.11.2018 से तहसीलदार वैर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरण कर दी है। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक /कोर्ट /143 दिनांक 27.02.2019 तहसीलदार वैर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार वैर से इस बाबत कोई जबाब प्राप्त नहीं होना यह जाहिर करता है कि प्रार्थी को आरटीआई एक्ट के तहत सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है। अस्तु अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । तहसीलदार वैर को निर्देशित किया जाता है कि वे अप्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना आरटीआई एक्ट में दिये गये प्रावधानों के तहत जारी कर प्रार्थी को उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार वैर को प्रेषित की जावे । इस आदेश से संतुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 24 / 2019

पवन कुमार पुत्र रामगोपाल निवासी नारडियों की ढाणी ,तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर

बनाम

प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख कलैक्ट्रेट,भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 23.04.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट पवन कुमार पुत्र रामगोपाल निवासी नारडियों की ढाणी ,तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 11.02.2019 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख कलैक्ट्रेट, भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख कलैक्ट्रेट,भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /216 दिनांक 26.03.2019 से प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख कलैक्ट्रेट,भरतपुर से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख कलैक्ट्रेट,भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/ 4013 दिनांक 03.04.2019 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख कलैक्ट्रेट,भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट का कथन है कि प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख कलैक्ट्रेट,भरतपुर से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख कलैक्ट्रेट,भरतपुर से प्राप्त जबाव क्रमांक नं0 4013 दिनांक 03.04.2019 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी को क्रमांक नं0 3042 दिनांक 08.03.2019 को चाही गयी सूचना के संबध में सूचित किया गया था कि चाही गई सूचना का नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करें। अपीलार्थी द्वारा कोई शुल्क जमा नहीं कराया गया है। अपीलार्थी नियमानुसार शुल्क जमा कर वांछित सूचना प्राप्त करे। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भू अभिलेख कलैक्ट्रेट,भरतपुर से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति भू अभिलेख कलैक्ट्रेट,भरतपुर को प्रेषित की जावे । इस आदेश से संतुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. आरूषि मलिक)

Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 26 / 2019

नन्नू सिंह उर्फ ननुआ पुत्र श्री पुन्नी सिंह निवासी साहरई पोस्ट श्योरावली तहसील डीग

बनाम

तहसीलदार डीग

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 23.04.2019

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री नन्नू सिंह उर्फ ननुआ पुत्र श्री पुन्नी सिंह निवासी साहरई पोस्ट श्योरावली तहसील डीग ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 01.02.2019 के द्वारा तहसीलदार डीग सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार डीग द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट /224 दिनांक 29.3.19 से तहसीलदार डीग से अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार डीग से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/ 131 दिनांक 10.04.2019 शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं तहसीलदार डीग ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट का कथन है कि तहसीलदार डीग से उक्त सूचनांऐं दिलायी जाने की प्रार्थना की है। तहसीलदार डीग से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/131 दिनांक 10.04.2019 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को समस्त सूचनांऐं उपलब्ध करा दी गयी हैं। अपने कथनों की ताईद में पत्र क्रमांक/16 दिनांक 26.02.2019 की प्रति भी भिजवाई गई है। रेस्पो ने अपीलांट को सम्पूर्ण सूचना भिजवाई गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । निर्णय की प्रति अपीलार्थी को तहसीलदार डीग से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार डीग को प्रेषित की जावे । इस आदेश से संतुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील राजस्व / 27 / 2018

1 नरेन्द्र पुत्र गिरधर जाति जाट निवासी ग्राम हरनेरा तहसील नदबई , जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 08.10.2018 न्यायालय तहसीलदार नदबई व मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट मुकदमा नं 18 / 18 न्यायालय तहसीलदार नदबई।

————————

उपस्थित –

1– श्री राजाराम डागुर अभिभाषक अपीलांट

2– श्री राजेश पचौरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 08.05.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार नदबई के आदेश दिनांक 08.10.2018 के खिलाफ पेश हुई है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार नदबई ने खसरा न. 324 रकवा 0.17,364 रकवा .42 चारागाह भूमि बांके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई पर तहासीलदार द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 08.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें विवादित आराजी पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किए जाने एवं पेन्लटी 708/– रूपये कायम करने की आज्ञा दी गयी है तथा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए 3 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार नदबई से तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक ने अपील अंकित कथनों को दोहराते हुए बताया है कि अपीलांट के हाल खसरा न. 324 रकवा 0.17 ,364 रकवा 0.42 हैक्टेयर चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि खसरा न. 324 चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई में से क्रमश 0.17 व 0.42 हैक्ट रकवा पर अतिक्रमण दिखा दिया गया है। योग्य रेस्पो की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक पक्ष का तर्क है कि तहत न्यायालय में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने तीन माह का सिविल कारावास दण्ड से अपीलांट को दंण्डित किया गया एवं 50 गुना पेनल्टी 708 रू फसल नीलामी आदेश पारित किये गऐ हैं। अपीलांट द्वारा पेनल्टी जमा करा दी गई है। एवं चारागाह भूमि से अपना कब्जा हटा लिया गया है। हमने खाली जमीन पड़ी हुई होने के कारण उसमें डहंचा बो दिया था। जो अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे विरूद्ध तीन माह का सिविल कारावास से दण्डित किया है जो कि गलत है क्यों कि अपीलांट ने सरकारी भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया था। अतः दिनांक 08.10.2018 के पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जाये।

पेरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार नदबई के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 की ताईद करते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी इस आररजी पर अतिक्रमण किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार

अपीलांट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत की गई है। जिसका तहत अदालत को बखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। अंत में पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांट खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । आराजी खसरा नं 324 रकवा 0.17 , 364 रकवा 0.42 हैक्टेयर राजस्व रिकोर्ड में राजकीय चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा में अपीलांट द्वारा डहचा एवं ज्वार बोकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट होता है एवं पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 27.02.2019 की रिपोर्ट से अवगत कराया है कि अतिक्रमी ने अपना कब्जा हटा लिया है। पश्चातवर्ती अर्थात विवादित आराजी पर अपीलांट अतिक्रमी का कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त पेनल्टी राशि अपीलांट के द्वारा जमा कराई जा चुकी है। जब अतिक्रमी अपीलांट के द्वारा विवादित चारागाह भूमि से मौके पर अतिक्रमण है हटाया लिया है। कब्जा नहीं होतो उसके विरूद्ध पारित सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्वत रहता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार नदबई को प्रति प्रेषित की जाती है कि बाद जांच मौके पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है तो ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 के तहत अपीलांट के विरूद्ध पारित सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है तथा शेष आदेश में कोई हस्तक्षेप न किया जाकर यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भरतपुर

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील राजस्व / 28 / 2018

1 देवीसिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम हरनेरा तहसील नदबई , जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 08.10.2018 न्यायालय तहसीलदार नदबई व मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट मुकदमा नं 19 / 18 न्यायालय तहसीलदार नदबई।

———————

उपस्थित –

1– श्री राजाराम डागुर अभिभाषक अपीलांट

2– श्री राजेश पचौरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 08.05.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार नदबई के आदेश दिनांक 08.10.2018 के खिलाफ पेश हुई है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार नदबई ने खसरा न. 557/392 रकवा 0.68 व 439 रकवा 1.20 चारागाह भूमि बांके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई पर तहासीलदार द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 08.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें विवादित आराजी पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किए जाने एवं पेन्लटी 2256/– रूपये कायम करने की आज्ञा दी गयी है तथा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए 3 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार नदबई से तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक ने अपील अंकित कथनों को दोहराते हुए बताया है कि अपीलांट के हाल खसरा न. 557/392 रकवा 0.68 व 439 रकवा 1.20 हैक्टेयर चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि खसरा न. 557/392 चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई में से क्रमश .68 व 1.20 हैक्ट रकवा पर अतिक्रमण दिखा दिया गया है। योग्य रेस्पो की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक पक्ष का तर्क है कि तहत न्यायालय में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने तीन माह का सिविल कारावास दण्ड से अपीलांट को दंण्डित किया गया एवं 50 गुना पेनल्टी 2256/– रू फसल नीलामी आदेश पारित किये गऐ हैं। अपीलांट द्वारा पेनल्टी जमा करा दी गई है। एवं चारागाह भूमि से अपना कब्जा हटा लिया गया है। हमने खाली जमीन पड़ी हुई होने के कारण उसमें डहंचा बो दिया था। जो अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे विरूद्ध तीन माह का सिविल कारावास से दण्डित किया है जो कि गलत है क्यों कि अपीलांट ने सरकारी भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया था। अतः दिनांक 08.10.2018 के पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जाये।

पेरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार नदबई के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 की ताईद करते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलांट द्वारा पूर्व में

भी इस आररजी पर अतिक्रमण किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत की गई है। जिसका तहत अदालत को बखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। अंत में पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांट खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । आराजी खसरा न. 557/392 रकवा 0.68 व 439 रकवा 1.20 हैक्टेयर राजस्व रिकोर्ड में राजकीय चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा में अपीलांट द्वारा डहचा बोकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट होता है एवं पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 27.02.2019 की रिपोर्ट से अवगत कराया है कि अतिक्रमी ने अपना कब्जा हटा लिया है। पश्चातवर्ती अर्थात विवादित आराजी पर अपीलांट अतिक्रमी का कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त पेनल्टी राशि अपीलांट के द्वारा जमा कराई जा चुकी है। जब अतिक्रमी अपीलांट के द्वारा विवादित चारागाह भूमि से मौके पर अतिक्रमण है हटाया लिया है। कब्जा नहीं होतो उसके विरूद्ध पारित सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्वत रहता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार नदबई को प्रति प्रेषित की जाती है कि बाद जांच मौके पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है तो ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 के तहत अपीलांट के विरूद्ध पारित सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है तथा शेष आदेश में कोई हस्तक्षेप न किया जाकर यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ आरूषि मलिक)

जिला कलक्टर,
भरतपुर

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील राजस्व / 26 / 2018

1 सत्यवीर सिंह पुत्र महाराज सिंह जाति जाट निवासी ग्राम हरनेरा तहसील नदबई , जिला भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 08.10.2018 न्यायालय तहसीलदार नदबई व मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट मुकदमा नं 17 / 18 न्यायालय तहसीलदार नदबई।

————————

उपस्थित –

1– श्री राजाराम डागुर अभिभाषक अपीलांट

2– श्री राजेश पचौरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 08.05.2019

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार नदबई के आदेश दिनांक 08.10.2018 के खिलाफ पेश हुई है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार नदबई ने खसरा न. 391 रकवा 1.28 हैक्ट0 चारागाह भूमि बांके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई पर तहासीलदार द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 08.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें विवादित आराजी पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किए जाने एवं पेन्लटी 1536/– रूपये कायम करने की आज्ञा दी गयी है तथा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए 3 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार नदबई से तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक ने अपील अंकित कथनों को दोहराते हुए बताया है कि अपीलांट के हाल खसरा न. 391 रकवा 1.28 हैक्टेयर चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि खसरा न. 391 रकवा 1.28 हैक्ट0 चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई में से 1.28 हैक्ट रकवा पर अतिक्रमण दिखा दिया गया है। योग्य रेस्पो की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक पक्ष का तर्क है कि तहत न्यायालय में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने तीन माह का सिविल कारावास दण्ड से अपीलांट को दंण्डित किया गया एवं 50 गुना पेनल्टी 1536/– रू फसल नीलामी आदेश पारित किये गऐ हैं। अपीलांट द्वारा पेनल्टी जमा करा दी गई है। एवं चारागाह भूमि से अपना कब्जा हटा लिया गया है। हमने खाली जमीन पड़ी हुई होने के कारण उसमें डहचा व ज्वार बो दिया था। जो अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे विरूद्ध तीन माह का सिविल कारावास से दण्डित किया है जो कि गलत है क्यों कि अपीलांट ने सरकारी भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया था। अतः दिनांक 08.10.2018 के पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जाये।

पेरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार नदबई के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 की ताईद करते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलांट द्वारा पूर्व में

भी इस आररजी पर अतिक्रमण किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत की गई है। जिसका तहत अदालत को बखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। अंत में पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांट खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । आराजी खसरा न. 391 रकवा 1.28 हैक्टेयर राजस्व रिकोर्ड में राजकीय चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा में अपीलांट द्वारा डहचा व ज्वार बोकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट होता है एवं पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 27.02.2019 की रिपोर्ट से अवगत कराया है कि अतिक्रमी ने अपना कब्जा हटा लिया है। पश्चातवर्ती अतिक्रमण के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित है कि विगत वर्षो में बेदखली होने पर ही इस वर्ष पश्चातवर्ती अर्थात विवादित आराजी पर अपीलांट अतिक्रमी का कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त पेनल्टी राशि अपीलांट के द्वारा जमा कराई जा चुकी है। जब अतिक्रमी अपीलांट के द्वारा विवादित चारागाह भूमि से मौके पर अतिक्रमण है हटाया लिया है। कब्जा नहीं होतो उसके विरूद्ध पारित सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्वत रहता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार नदबई को प्रति प्रेषित की जाती है कि बाद जांच मौके पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है तो ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 के तहत अपीलांट के विरूद्ध पारित सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है तथा शेष आदेश में कोई हस्तक्षेप न किया जाकर यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रार्थना पत्र नजरसानी / 80 / 2018

शालिनी सिंघल उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं0 15–16 कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

. ..... प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर

..... अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र नजरसानी

निर्णय दिनांक 18.06.2019

यह प्रार्थना पत्र नजरसानी पेश किया है कि उनबानी अपील श्रीमानजी के न्यायालय में विचारधीन थी जिसमें श्रीमानजी ने दिनांक 04.06.2018 को आदेश पारित कर अपील को खारिज कर दिया है। प्रार्थना पत्र नजरसानी प्रार्थी अभिभाषक बहस में प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में न्यायालय श्री मान द्वारा रेस्पोडेन्ट पेरोकार रसद की बहस सुनकर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर अपील खारिज कर दी।

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल निर्णय दिनांक 04.06.2018 गुणावगुण के आधार पर बाद परीक्षण पारित किया गया है। प्रथम दृष्टया निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। प्रथम दृष्टया मूल आदेश में कोई अनियमितता पाई नहीं गई है। निर्णय दिनांक 04.06.2018 का नजरसानी करना उचित नहीं पाते है। लिहाजा प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रार्थना पत्र नजरसानी/79/2018

इन्द्राज सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत करीली 1/2 कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

. ..... प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर

..... अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र नजरसानी

निर्णय दिनांक 18.06.2019

यह प्रार्थना पत्र नजरसानी पेश किया है कि उनबानी अपील श्रीमानजी के न्यायालय में विचारधीन थी जिसमें श्रीमानजी ने दिनांक 04.06.2018 को आदेश पारित कर अपील को खारिज कर दिया है। प्रार्थना पत्र नजरसानी प्रार्थी अभिभाषक बहस में प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में न्यायालय श्री मान द्वारा रेस्पोडेन्ट पेरोकार रसद की बहस सुनकर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर अपील खारिज कर दी।

प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल निर्णय दिनांक 04.06.2018 गुणावगुण के आधार पर बाद परीक्षण पारित किया गया है। प्रथम दृष्टया निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। प्रथम दृष्टया मूल आदेश में कोई अनियमितता पाई नहीं गई है। निर्णय दिनांक 04.06.2018 का नजरसानी करना उचित नहीं पाते है। लिहाजा प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रार्थना पत्र नजरसानी/78/2018

मनोहर सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत करीली 1/2 कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

. ..... प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर

..... अप्रार्थी

उपस्थितः—
1—श्री रमनलाल मित्तल अभिभाषक अपीलान्ट,
2—प्रवर्तन अधिकारी,पेरोकार रसद

प्रार्थना पत्र नजरसानी

निर्णय

दिनांक 18.06.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अंकित किया है कि उनबानी मनोहर बनाम जिला रसद अधिकारी, भरतपुर अपील दिनांक दिनांक 04.0.6.2018 को सुनवाई हेतु पेशी मे नियत थी। परन्तु अपीलांट अधिवक्ता वक्त पेशी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाये। और अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपील का निर्णय न्यायालय श्रीमान द्वारा रेस्पोडेन्ट पेरोकार रसद की बहस सुनकर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित कर अपील खारिज कर दी। जबकि आदेश 41 नियम 17 जा.दी. के स्पष्टीकरण में स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय अपीलांअ की अनुपस्थति में अपील को गुणावगुण के आधार पर खारिज नहीं कर सकते। न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.0.6.2018 को रिव्यू कर खारिज कर दिया जावे। एवं अपील का फैसला दोनों पक्षों की बहस सुनकर किये जाने के आदेश फरमावें।

अपीलांट वकील ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि अपीलांट व अपीलांट अभिभाषक किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सका और अभिभाषक अपीलान्ट की अनुपस्थित में रेस्पो. पैरोकार रसद की बहस सुनकर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित कर अपील खारिज कर दी गई है जो नियमों के विपरीत है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने आदेश 41 नियम 17 सीपीसी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये प्रार्थना नजरसानी स्वीकार कर अपील पुनः नम्बर लेकर हमें सुना जाकर गुणावगुण के आधार निर्णय पारित किया जावे।

पेरोकार रसद ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि अपीलांट व अपीलांट के अभिभाषक को बहस हेतु कई मोके दिये गये एवं दिनांक 04.06.2018 को अपीलांट या

उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। माननीय न्यायालय ने रेस्पो. पैरोकार रसद की बहस सुनी जाकर, अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित कथनों एवं पत्रावलीयों में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात के आधार पर ही गुणावगुण के आधार निर्णय किया गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र नजरसानी में ऐसे कोई तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे पारित निर्णय प्रभावित होता हो। प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य कथन है कि प्रार्थना पत्र नजरसानी स्वीकार किया जाकर अपील पुनः नम्बर पर लेकर उसे सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। प्रार्थी ने अपने नजरसानी प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे मूल अपील में पारित निर्णय प्रभावित होता/निर्णय में त्रुटि प्रतीत होती हो। मूल अपील संख्या 24/17 एवं पारित निर्णय दिनांक 04.0.6.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है मूल अपील में पारित निर्णय अपील में कथनों एवं पत्रावलीयों में उपलब्ध रिकार्ड पत्रादि के अध्ययन के बाद ही गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने कोई नये तथ्य हमारे समक्ष पेश नहीं किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज योग्य रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रार्थना पत्र नजरसानी/79/2018

इन्द्राज सिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत करीली 1/2 कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

. ..... प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर

..... अप्रार्थी

उपस्थितः—
1—श्री रमनलाल मित्तल अभिभाषक अपीलान्ट
2—प्रवर्तन अधिकारी,पेरोकार रसद

प्रार्थना पत्र नजरसानी

निर्णय

दिनांक 18.06.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अंकित किया है कि उनबानी इन्द्राज सिंह बनाम जिला रसद अधिकारी, भरतपुर अपील दिनांक दिनांक 04.0.6.2018 को सुनवाई हेतु पेशी मे नियत थी। परन्तु अपीलांट अधिवक्ता वक्त पेशी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाये। और अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपील का निर्णय न्यायालय श्रीमान द्वारा रेस्पोडेन्ट पेरोकार रसद की बहस सुनकर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित कर अपील खारिज कर दी। जबकि आदेश 41 नियम 17 जा.दी. के स्पष्टीकरण में स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय अपीलांअ की अनुपस्थति में अपील को गुणावगुण के आधार पर खारिज नहीं कर सकते। न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.0.6.2018 को रिव्यू कर खारिज कर दिया जावे। एवं अपील का फैसला दोनों पक्षों की बहस सुनकर किये जाने के आदेश फरमावें।

अपीलांट वकील ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि अपीलांट व अपीलांट अभिभाषक किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सका और अभिभाषक अपीलान्ट की अनुपस्थित में रेस्पो. पैरोकार रसद की बहस सुनकर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित कर अपील खारिज कर दी गई है जो नियमों के विपरीत है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने आदेश 41 नियम 17 सीपीसी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये प्रार्थना नजरसानी स्वीकार कर अपील पुनः नम्बर लेकर हमें सुना जाकर गुणावगुण के आधार निर्णय पारित किया जावे।

पेरोकार रसद ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि अपीलांट व अपीलांट के अभिभाषक को बहस हेतु कई मोके दिये गये एवं दिनांक 04.06.2018 को अपीलांट या

उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। माननीय न्यायालय ने रेस्पो. पैरोकार रसद की बहस सुनी जाकर, अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित कथनों एवं पत्रावलीयों में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात के आधार पर ही गुणावगुण के आधार निर्णय किया गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र नजरसानी में ऐसे कोई तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे पारित निर्णय प्रभावित होता हो। प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य कथन है कि प्रार्थना पत्र नजरसानी स्वीकार किया जाकर अपील पुनः नम्बर पर लेकर उसे सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। प्रार्थी ने अपने नजरसानी प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे मूल अपील में पारित निर्णय प्रभावित होता/निर्णय में त्रुटि प्रतीत होती हो। मूल अपील संख्या 19/17 एवं पारित निर्णय दिनांक 04.0.6.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है मूल अपील में पारित निर्णय अपील में कथनों एवं पत्रावलीयों में उपलब्ध रिकार्ड पत्रादि के अध्ययन के बाद ही गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने कोई नये तथ्य हमारे समक्ष पेश नहीं किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज योग्य रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रार्थना पत्र नजरसानी / 80 / 2018

शालिनी सिंघल उचित मूल्य दुकानदार वार्ड नं015–16 कस्बा नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

. ..... प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी भरतपुर

..... अप्रार्थी

उपस्थितः–
1–श्री रमनलाल मित्तल अभिभाषक अपीलान्ट,
2–प्रवर्तन अधिकारी,पेरोकार रसद

प्रार्थना पत्र नजरसानी

निर्णय

दिनांक 18.06.2019

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने अंकित किया है कि उनबानी शालनी सिंघल बनाम जिला रसद अधिकारी, भरतपुर अपील दिनांक दिनांक 04.0.6.2018 को सुनवाई हेतु पेशी मे नियत थी। परन्तु अपीलांट अधिवक्ता वक्त पेशी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाये। और अपीलांट के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपील का निर्णय न्यायालय श्रीमान द्वारा रेस्पोडेन्ट पेरोकार रसद की बहस सुनकर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित कर अपील खारिज कर दी। जबकि आदेश 41 नियम 17 जा.दी. के स्पष्टीकरण में स्पष्ट प्रावधान है कि न्यायालय अपीलांअ की अनुपस्थति में अपील को गुणावगुण के आधार पर खारिज नहीं कर सकते। न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.0.6.2018 को रिव्यू कर खारिज कर दिया जावे। एवं अपील का फैसला दोनों पक्षों की बहस सुनकर किये जाने के आदेश फरमावें।

अपीलांट वकील ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि अपीलांट व अपीलांट अभिभाषक किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सका और अभिभाषक अपीलान्ट की अनुपस्थित में रेस्पो. पैरोकार रसद की बहस सुनकर अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर पारित कर अपील खारिज कर दी गई है जो नियमों के विपरीत है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने आदेश 41 नियम 17 सीपीसी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुये प्रार्थना नजरसानी स्वीकार कर अपील पुनः नम्बर लेकर हमें सुना जाकर गुणावगुण के आधार निर्णय पारित किया जावे।

पेरोकार रसद ने अपनी बहस में जाहिर किया है कि अपीलांट व अपीलांट के अभिभाषक को बहस हेतु कई मोके दिये गये एवं दिनांक 04.06.2018 को अपीलांट या

उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये। माननीय न्यायालय ने रेस्पो. पैरोकार रसद की बहस सुनी जाकर, अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित कथनों एवं पत्रावलीयों में उपलब्ध रिकार्ड दस्तावेजात के आधार पर ही गुणावगुण के आधार निर्णय किया गया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र नजरसानी में ऐसे कोई तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे पारित निर्णय प्रभावित होता हो। प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का मुख्य कथन है कि प्रार्थना पत्र नजरसानी स्वीकार किया जाकर अपील पुनः नम्बर पर लेकर उसे सुना जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। प्रार्थी ने अपने नजरसानी प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है जिससे मूल अपील में पारित निर्णय प्रभावित होता/निर्णय में त्रुटि प्रतीत होती हो। मूल अपील संख्या 05/17 एवं पारित निर्णय दिनांक 04.0.6.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है मूल अपील में पारित निर्णय अपील में कथनों एवं पत्रावलीयों में उपलब्ध रिकार्ड पत्रादि के अध्ययन के बाद ही गुणावगुण के आधार पर पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने कोई नये तथ्य हमारे समक्ष पेश नहीं किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज योग्य रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र नजरसानी खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.06.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील संख्या :–68 / 2017

1– गजपत पुत्र खचेरा जाति जाट निवासी तुहिया तहसील भरतपुर ..... (मृतक)

1 / 1– प्रतापसिंह पुत्र श्री गजपत सिंह जाति जाट निवासी तुहिया तहसील भरतपुर
1 / 2– महेन्द्र सिंह पुत्र श्री गजपत सिंह ..... (मृतक)
2 / 1– महेश चन्द पुत्र
2 / 2– मुकेश पुत्र
2 / 3– लीलावती पत्नि } श्री स्व. महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी तुहिया
2 / 4– मधु पुत्री } तहसील भरतपुर व जिला भरतपुर
2 / 5– मुनेश पुत्री

..... अपीलांट

बनाम

1– विस्सो वेवा पूरना
2– विजयसिंह पुत्र पूरना } अकबाम जाटव निवासीयान तुहिया
3– वीरीसिंह पुत्र पूरना } तहसील भरतपुर व जिला भरतपुर
4– रनवीर सिंह पुत्र पूरना
5– मुकेश
6– भुवनेश } पुत्रगण श्री निहालसिंह जाति जाट निवासी तुहिया
7– सुरेशसिंह } तहसील भरतपुर व जिला भरतपुर
8– संजयसिंह
9– सुनीता सिंह } पिसरान श्री ओमवीरसिंह जाति जाट निवासी तुहिया तहसील भरतपुर व जिला भरतपुर

.....रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आदेश पट्टा तारीखी 25–09–1992 तहसीलदार (प्राधिकृत अधिकारी) भरतपुर बाबत खसरा नम्बर 1702,1703 बाकै ग्राम तुहिया तहसील भरतपुर

निर्णय

दिनांक 27.06.2019

अपीलान्ट द्वारा अपील विरूद्ध आदेश पट्टा तारीखी 25–09–1992 तहसीलदार (प्राधिकृत अधिकारी) भरतपुर बाबत खसरा नम्बर 1702,1703 बाकै ग्राम तुहिया तहसील भरतपुर की बाबत इस प्रकार प्रस्तुत की गई कि अदालत तहत ने आदेश गैर अपील पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया है कि विवादित आराजी पर आज तक रेस्पोडेन्टान का कब्जा नहीं रहा है और ना ही इनके मृतक पिता का इस आराजी पर कब्जा था। अदालत तहत द्वारा आदेश पट्टा पारित करने से पूर्व मौके की कोई जांच नहीं की गई। मौके पर आज तक आराजी मुतनाजा पर अपीलांट काबिज होकर चला आ

Web Copy - Not Official

रहा है। अपीलांट की यह आराजी मुतनाजा खुद की आराजी है। जिसको प्रारम्भ से ही अपीलांट आबादी के रूप में लेता चला आ रहा है।

इस विवादित आराजी में अपीलांट ने सन् 1968 में पुख्ता कुआ व उसमें ट्यूबबैल लगाया था तथा बिजली की मोटर लगाई थी व पुख्ता होदी बनाई थी , जो आज तक बदस्तूर है।

चूंकि यह आराजी अपीलांट की खेवट की आराजी थी तथा अपीलांट गांव का नम्बरदार था जिसके अपनी उठक बैठक के लिए एक कच्ची कोठरी बना रखी थी। जिसमें अपीलान्ट अपनी उठक बैठक रखता था। यह कोठरी कच्ची होने के कारण वर्षा में गिर गई जिसकी मिट्टी का टीला आज भी जमा हुआ है। इसी विवादित आराजी मुतनाजा पर अपीलान्ट ने अपने पूर्वजों को दफनाया है जिसके थान बने हुए हैं। अपीलान्ट द्वारा लगाये गये पेड़ दरखत खडे हुए हैं। आज भी अपीलांट ही इस जमीन पर उठक बैठक रखता है व मवेशी बांधता है। पीने का हैण्डपम्प लगा हुआ है, बुर्जी गढी हुई है तथा कृषि यंत्र आदि रखता है , ईधन रखा हुआ है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर आज तक कभी काश्त नहीं हुई और न ही खसरा गिरदावरी में कोई जिन्स दर्ज हुई बल्कि अपीलान्ट ही हमेशा आराजी मुतनाजा को आबादी के काम लेता रहा है। तहसीलदार भरतपुर ने आदेश जैर अपील अपने क्षेत्राधिकार से बाहर पारित की है। अदालत तहत में इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जब आराजी मुतनाजा पर रेस्पोडेन्टान का आज तक कब्जा ही नहीं रहा तो आदेश जैर अपील उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर कृषि भूमि में परिवर्तित करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। तहत अदालत के समक्ष रेस्पोडेन्टान ने सही तथ्य नहीं रखे हैं तथा इस तथ्य को छिपाया है कि आराजी मुतनाजा की बाबत हो रहे गलत इन्द्राज को निरस्त करने हेतु अपीलांट द्वारा साक्ष्य न्यायालय में दावा कर दिया है जो विचाराधीन है। इस प्रकार अपीलान्ट ने प्रार्थना की है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर आदेश पट्टा न्यायालय तहसीलदार भरतपुर दिनांक 25.09.1992 को निरस्त किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि पूर्व में दिनांक 20.1.1993 को न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.09.92 तहसीलदार भरतपुर निरस्त किया जाकर तहसीलदार भरतपुर को रिमाण्ड किया गया था । जिसके विरूद्ध दो निगरानी क्रमशः 21/1993 व 22/1993 माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई । जिनके द्वारा निगरानी 21/1993 स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर आदेश दिनांक 20.01.1993 निरस्त किया जाकर सुनवाई हेतु पुनः रिमाण्ड किया गया। तथा निगरानी संख्या 22/1993 प्रभावहीन की जाकर निर्णीत की गई। तत्पश्चात पत्रावली अति.जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में पेश की गई। दिनांक 19.04.2017 को उक्त पत्रावली एडीएम कोर्ट भरतपुर के पत्र क्रमांक /रीडर/एडीएम/17/769 दिनांक 19–9–17 के आधार पर इस न्यायलय को प्राप्त हुई है। न्यायालय द्वारा अपील दर्ज रजिस्टर की गई और पक्षकारान को नोटिस जारी किये गए। तत्पश्चात अपील में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अपीलांट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन खसरा नम्बर 1702 व 1703 अपीलांट की खुद काश्त की आराजी रही

है। संवत् 2012 व 2016 में उनके इन्द्राज रहे हैं। अपीलांट को संवत 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर धारा 12 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा

29 भागीदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।

न्यायलय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर द्वारा पूर्व में अपील स्वीकार कर तहसीलदार भरतपुर को रिमाण्ड की गई थी। तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दो निगरानी क्रमशः 21/1993 व 22/1993 पेश की गईं । जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 4 की निगरानी खारिज की गई तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 9 की निगरानी आंशिक स्वीकार की गई। अपीलाधीन आराजी बाबत सहायक कलक्टर के न्यायलय भरतपुर में दावा विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थना पत्र 212 आरटीए में स्थगन आदेश जारी है। जिसके बाबजूद भी दिनांक 25.09.92 को भूमि रूपान्तरण कर दिया गया जो गलत है। मौका रिपोर्ट दिनांक 9.10.92 में अपीलांट का कब्जा राजस्व कर्मचारियों द्वारा दिखाया गया है। मौका रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियों द्वारा बनाई गई है। दिनांक 25.9.92 में भूमि रूपान्तरण कराकर दिनांक 29.9.92 को आराजी का बेचान कर दिया। बेचान स्थगन आदेश के दौरान किया है जो गैर कानूनी व अवैध है। सहायक अभियंता की रिपोर्ट दिनांक 01.12.92 में आराजी नगरीय सीमा से 1/2 किमी. दूर बताई। दिनांक 25.10. 2018 को रेस्पोडेन्ट द्वारा आराजी पर कब्जा किया गया था। आराजी का काई आवंटन नहीं किया गया। राजस्व अधिकारियों द्वारा बनाई मौका रिपोर्ट 09.10.92 मान्य होती है। दिनांक 15.01.19 को सिविल कोर्ट द्वारा दिया गया स्टे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया हुआ है। इस प्रकार अन्त में अपीलांट द्वारा अपीलाधीन कन्वर्जन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया गया।

रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 10 व 11 व सपठित धारा 151 सी.पी.सी का मय शपथ पत्र पेश किया जो संलग्न मिसिल किया गया। रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने बहस यह कथन किया है कि गजपत वगैरह द्वारा प्रस्तुत किया गया स्थगन दिनांक 25.10.93 को खारिज हो चुका है। जिसकी अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी कोर्ट भरतपुर में पेश की गई जो दिनांक 5.11.93 को खारिज हो चुकी है। अपीलाधीन आराजी पर कोई कब्जा नहीं था और नहीं आराजी खुद काश्त की जा रही है। जमाबन्दी के कालम संख्या 5 में अपीलांट का नाम नहीं है। न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा दावा दिनांक 04.03.2002 को खारिज किया जा चुका है। यद्यपि इसको नम्बर पर लेने का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है लेकिन सन् 2002 से 2019 तक कोई भी आदेश इस पर नहीं हुआ है। आराजी बिस्सो के नाम रही है। बिस्सो के नाम जमीन का टाईटल था। दिनांक 2.2.93 की रिपोर्ट के अनुसार आराजी नगरीय सीमा से 4 किमी. दूर स्थित है। कन्वर्जन अवैध नहीं है। वयनामा दिनांक 29.9.1992 में कब्जा व दखल दिया जाना स्पष्ट रूप से अंकित है। वयनामा को आज तक चैलेंज नही किया गया है। दिनांक 15.01.19 का आदेश जो सिविल कोर्ट का है वह आज भी बहाल है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध अपनी बहस में किया है।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। यह प्रकरण तहत अदालत तहसीलदार भरतपुर द्वारा रैस्पोडेन्ट के हक में पारित पट्टा दिनांक 25.9.1992 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि गत खसरा नम्बर 1382 एवं 1383 के जो हाल नम्बर 1702, 1703 एवं 1704 बनाये गये है जिन पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन

आदेश पारित किया गया है यह आराजी सम्वत 2018 तक अपीलान्ट की खुदकाश्त में दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है जैसा कि नकल जमाबन्दी सम्बत 2011 लगायत 2014 से बखूबी साबित होता है। इसके अलावा अपीलान्ट के अर्सा दराज कब्जे बाबत तथ्य भी तहसीलदार भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 9.10.1992 से प्रमाणित होता है। अपीलान्ट का यह कहना कि धारा 5 एवं धारा 29 जमीदारी विस्बेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत अपीलान्ट स्वतः ही खातेदार हो जाता है तथा विवादित ग्रस्त आराजी पर आर0टी0एक्ट लागू होने से पूर्व से ही अपीलान्ट का कब्जा वहैसियत खातेदार काश्तकार चला आ रहा है यह भूमि प्रारम्भ से ही औक्यूपाईड भूमि थी जिसका आवंटन नहीं हो सकता था। अपीलान्ट के इस तथ्य से हम सहमत रहते है क्यों कि न्यायिक दृष्टान्त R.R.D. 1987 Page No. 496 के अतंर्गत यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आवंटन केवल अन–औक्यूपाईड भूमि का ही हो सकता है। बाबजूद इसके विवादित आराजी का गैर कब्जेदार को आवंटन होना तत्पश्चात कनवर्सन और तत्काल बेचान किया जाना रैस्पोडेन्ट्स की बदनियती को जाहिर करता है। वकील रैस्पोडेन्ट का यह कहना कि अपीलाधीन आदेश के वक्त विवादित आराजी पर कोई स्थगन आदेश नहीं था इसलिये पट्टा/कनवर्सन नियमानुसार है तथ्यापक नहीं कहा जा सकता क्यों कि अदालत हाजा के समक्ष उपलब्ध सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.9.1992 से यह प्रमाणित हो जाता है कि दौराने पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.9.1992 सहायक कलक्टर भरतपुर का स्थगन आदेश प्रभावी था लिहाजा तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश के आस्तित्व में रहते पारित किया गया है जो कतई न्यायोचित नहीं रहता है। वास्तव में न्यायिक मंशा के मध्यनजर इस तरह की सरसरी कार्यवाहियों को हक हकूकी संबधी नियमित वाद के चलते रोका जाना ही न्यायहित में रहता है ताकि पक्षकारान के वास्तविक हक–हकूकों पर कोई विपरीत असर न पड सके। इसके अलावा वकील रैस्पोडेन्ट की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया जिससे अपीलाधीन रूपान्तरण आदेश को नियमानुसार माना जा सके क्यों कि तहत अदालत ने दौराने अपीलाधीन रूपान्तरण कार्यवाही उक्त स्थल को नगर परिषद सीमा से 4 कि0मी0 दूरी पर स्थित होना माना है जबकि सहायक अभियन्ता नगर परिषद भरतपुर की रिपोर्ट दिनांक 15.12.1992 से यह स्पष्ट है कि तुहिया ग्राम नगर परिषद से लगभग 1/2 (आधा) कि0मी0 दूर है ऐसी स्थिति में वास्तविक दूरी से संबधित उक्त दोनों तथ्य परस्पर विरोधाभास उत्पन्न करते है जबकि अपीलाधीन आदेश के अंतर्गत दूरी का बिन्दु महत्वपूर्ण रहता है । तहसीलदार को पैराफेरी क्षेत्र में कनर्सन किये जाने का क्षेत्राधिकार नहीं रहता है ग्रामीण क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण हेतु जो नियम दिनांक 27.4.1994 को बनाये गये है उनसे यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि रूपान्तरण उसी कृषि भूमि पर हो सकता है जो नगर पालिका अथवा नगर परिषद सीमा क्षेत्र से 01 कि0मी0 की दूरी पर हो । नियम 2 (थ) एवं (ज्ञ) इस संबध में यह स्पष्ट करते है कि यह दूरी नियमों के

अंतर्गत प्रतिबन्धित है। इस प्रकरण में रूपान्तरित स्थल की वास्तविक स्थल की दूरी स्पष्ट नहीं हो सकी है। जिसकी वास्तविक स्थिति का स्पष्ट होना नियमान्तर्गत रहता है। तहत रिकार्ड के अवलोकन से यह जाहिर है कि दौराने पारित अपीलाधीन आदेश तहत

अदालत द्वारा न तो वास्तविक दूरी को स्पष्ट किया गया और न ही मौके पर जाकर वास्तविक कब्जे बाबत जांच की गई है। रैस्पोडेन्ट का यह कहना कि सहायक कलक्टर के यहां विचाराधीन नियमित वाद दिनांक 4.3.2002 को खारिज हो चुका है जबकि वास्तविकता यह है कि नियमित वाद अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया गया है न्यायिक मंशा के मध्यनजर प्रकरण का अदम हाजरी में खारिज हो जाना प्रकरण में बाद परीक्षण गुणावगुण के आधार पर मैरिट पर निर्णय होना किसी भी सूरत में नहीं माना जा सकता है जबकि इस संबध में अपीलान्ट की ओर से सहायक कलक्टर भरतपुर के समक्ष नियमानुसार बाजदायरी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के तहत पेश किया जा चुका है जो वर्तमान में विचाराधीन है ऐसी स्थिति में मात्र तकनीकी त्रुटी को आधार बनाया जाकर किसी भी पक्षकार को उसके स्वत्व/अधिकारों से वंचित रखा जाना न्यायोचित नहीं रहता है। यह सुनिश्चित है कि वास्तविक हक हकूक नियमित दावे से ही तय किये जा सकते है। लिहाजा तमाम बहस तर्कों एवं रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि खुदकाश्त भूमि पर, न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर के समक्ष नियममित वाद के विचाराधीन रहते, सक्षम अदालत के स्थगन आदेश दिनांक 24.9. 1992 के आस्तित्व में होते हुये भी तहत अदालत द्वारा बिना कब्जा और मौके की जांच किये अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.9.1992 पारित किया गया है जो कतई न्यायसंगत नहीं रहता है। जबकि स्वयं तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 9.10.1992 इस तथ्य की ताईद करती है कि अपीलान्ट का अर्सा दराज से कब्जा चला आ रहा है । दौराने रूपान्तरण आदेश गिरदावर एवं पटवारी ग्राम तुहिया द्वारा तैयार चैक लिस्ट/रिपोर्ट दिनांक 21.9.1992 में अंकित तथ्य कि '' प्रस्तावित स्थल की दूरी 4 कि0मी0 होना, विवादित भूमि के संदर्भ में किसी न्यायालय में कोई विवाद न होना, मौके पर निर्माण न होना, तथा वास्तविक कब्जेधारी इन तमाम तथ्यों को स्वयं तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 9.10.1992 ही खण्डन कर देती है। जाहिर है कि तहत अदालत ने स्वयं अपनी ही इस रिपोर्ट को नजर–अंदाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो काबिले मंसूखी रहता है। लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत तहसीलदार (प्राधिकृत अधिकारी) भरतपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.9.1992 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.6.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.आरूषि मलिक)

जिला कलक्टर,
भरतपुर

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

निगरानी संख्या :–01/2011

1–महेन्द्र सिंह } पिस0 हीरालाल
2–मानसिंह }
3–दिलीपसिंह }
4–रमेश } पिसरान टोहरसिंह
5–प्रतापसिंह }
6–गुलाबसिंह }

जाति जाट निवासी सुनारी
तहसील व जिला भरतपुर

..... निगरानीकर्ता

बनाम

भारत निर्माण राजीव सेवा केन्द्र सुनारी पंचायत समिति सेवर ग्राम पंचायत सुनारी तहसील व जिला भरतपुर

.....उत्तरवादी

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सुनारी दिनांक 28.03.2011 अन्तर्गत प्रकरण पटटा नियम 162 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 27.06.2019

निगरानीकर्तागण के अन्तर्गतधारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत सुनारी दिनांक 28.03.2011 अन्तर्गत प्रकरण पटटा नियम 162 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि निगरानी कर्तागण के स्वामित्व एवं आधिपत्य के भूखण्ड (गैत/नौहरा) को ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 की नियम 162 के अन्तर्गत 100′ गुणा 45′ क्षेत्रफल भू–भाग का उत्तरवादी के पटटा करने का आदेश दिया है जिससे निगरानी कर्तागण के अधिकार प्रभावित होते है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं तथ्य विरूद्ध है। इसलिए निरस्त किये जाने योग्य है।

ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा निगरानी कर्तागण संख्या 1 व 2 के हक में 80 गुणा 72 वर्गफुट का व निगरानीकर्ता संख्या 3,4,5 व 6 के हक में 96 गुणा 72 वर्गफुट का नियम

157 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के अन्तर्गत पुराना कब्जा व स्वामित्व मानते हुये दिनांक 07.07.03 को पटटा मकान हेतु दिया है और नियमानुसार पटटा शुल्क जमा कराकर निगरानी कर्तागण के हक में पृथक–पृथक पटटे जारी किये है इस प्रकार निगरानी कर्ता विवादित भूखण्ड के स्वामी एवं आधिपत्य धारी है अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें बिना सुने खण्डानाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है।

निगरानी कर्ता संख्या 1 व 2 को किये गये पटटे के निम्नलिखित हददू अर्वा है।

उत्तर–82 फुट इधर सडक आम सरकारी
दक्षिण– 82 फुट इधर खेत श्री होरीलाल
पूर्व– 70 फुट इधर खेत श्री होरीलाल
पश्चिम–70 फुट इधर गैत नौहरा श्री गुलाबसिंह

निगरानी कर्ता संख्या 3 से 6 को किये पटटे के हदूद अर्वा निम्न प्रकार है

उत्तर–96 फुट इधर सडक आम सरकारी
दक्षिण–96 फुट इधर खेत श्री टोडरसिंह
पूर्व– 72 फुट भूखण्ड श्री होरीलाल
पश्चिम–72 फुट इधर भूखण्ड श्री होरीलाल

दोनों भूखण्ड नौहरा/गैतों पर निगरानी कर्तागण के दो पृथक–पृथक दावे दीवानी न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा हेतु राजस्थान सरकार के विरूद्ध दायर किये हुये है जिनमें उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश जारी किये हुये है क्योंकि राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि उक्त भूमि गैर मुमकिन आबादी सरकारी होना कह रहे है पाबन्दी आदेशजारी होते हुये खण्डनाधीन आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। ग्राम पंचायत नियम 162 के अन्तर्गत कोई पटटा जारी करने का अधिकार व शक्तियां प्राप्त नहीं है निगरानी कर्ता उक्त विवादित भूमि पर काबिज है जिन्हें अभी तक किसी के द्वारा बेदखल नहीं किया गया है उनके कब्जे के सरथरम सिविल न्यायालय का अस्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध सिविल न्यायालय के आदेश की अवहेलना में खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। खण्डनाधीन आदेश देने से पूर्व निगरानी कर्तागण को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है कोई नोटिस जारी नहीं किये गये है एकपक्षीय तरीके से मनमाने रूप से व्यवहारिक परिणाम का आदेश देने में अधीनस्थ न्यायालय में भारी त्रुटि है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की निगरानी कर्ता को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.06.2011 को ग्राम पंचायत के द्वारा नोटिस देने पर हुई है तो निगरानी कर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की नकल हेतु दिनांक 22.06.2011 को आवेदन किया उसी राज नकल प्राप्त होने पर आदेश तहत की जानकारी हुई है। जानकारी होने के दिन से निगरानी अन्दर 90 दिवस पेश की जा रही है।

इस प्रकार निगरानीकर्तगण द्वारा निगरानी पेश कर निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार की जाकर आादेश ग्राम पंचायत सुनारी का दिनांक 28.09.2011 निरस्त किया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जाकर तहत पत्रावली तलब की गई, जो संलग्न पत्रावली है। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित हुए।

अपीलार्थी उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहनता से अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार है–

निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत सुनारी के आदेश दिनांक 28.03.2011 के विरूद्ध यह हस्तगत निगरानी पेश की है। निगरानीकर्तागण का मुख्य कथन रहा है कि जिस जगह पर राजीव गांधी सेवा केन्द्र सुनारी है उस जमीन का पट्टा आवंटन करने के लिए अनुमोदन किया है उस जगह की बाबत ग्राम पंचायत सुनारी द्वारा निगरानीकर्तागण को दिनांक 07.07.2013 को मकान हेतु

(डॉ.आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official